आमने-सामने

पेंशन का अधिकार

वृद्धों के साथ किया जाने वाला व्यवहार सभ्य समाज में बेहतर सूचकांकों में से एक है। वर्तमान में हमारी जनसंख्या का 8.2 प्रतिशत बुजुर्ग हैं जिनकी संख्या करीब 10 करोड़ है और उनमें से हर छठवां बुजुर्ग अकेले रहने को मजबूर है। बड़े पैमाने पर कामगर परिवारों का पलायन एक नियम सा बन गया है। ऐसे में वे परिवारों के बुजुर्गों कि बिना उचित देखभाल और आर्थिक मदद के अकेले छोड़ने को मजबूर हैं। यह सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव स्वतः ही नहीं उभरे हैं बल्कि सरकार के आर्थिक बदलावों के लक्षण हैं। इसीलिए सरकार बुजुर्गों की देखभाल के लिए उत्तरदायी बनती है और उसकी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि वह तय करे कि बुजुर्ग भी आर्थिक रूप से सम्बल, स्वस्थ और आरामदायक जीवन जी सकें।

वर्तमान में लागू सरकारी योजनाएं

भारत में *इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना,* जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय से सम्बद्ध है के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों को 200 रुपए तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों को 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलने का प्रावधान है। परन्तु यह केवल गरीबी की रेखा के नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों के बुजुर्गों के लिए ही मान्य है। इस तरह वर्तमान में केवल देश भर के 1.97 करोड़ लोग ही इसके हक़दार हैं और केवल हर पांचवां 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति ही इसका लाभ ले पा रहा है। पेंशन की राशि भिन्न-भिन्न राज्यों में 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक है। जहां गोवा और दिल्ली में पेंशन की यह राशि 1000 रुपए है वहीं आन्ध्रप्रदेश, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में यह 200 रुपए है।

अन्तर्राष्ट्रीय उदाहरण

दुनिया में कई निम्न और मध्यम आय वाले देश हैं जहां सरकार अपने स्तर पर या आंशिक योगदान पर सभी बुजुर्गों को पेंशन उपलब्ध कराती है। उदाहरण के लिए

बोलिविया देश, जिसकी आमदनी भारत से 40 गुना अधिक है अपने बुजुर्ग नागरिकों को भारतीय मुद्रा में करीब 1500 रुपए की पेंशन देता है। वहीं कीनिया जिसकी आमदनी भारत से आधी है 1250 रुपए की पेंशन सभी बुजुर्ग नागरिकों को उपलब्ध कराता है। यहां तक कि नेपाल जैसा देश जिसकी आमदनी भारत से तिहाई ही है करीब 313 रुपए की पेंशन उपलब्ध कराता है।

संसाधनों का विषम आवंटन

हमारे देश में संगठित क्षेत्र में काम कर चुके बुजुर्गों को, तथा उच्च या मध्यम वर्ग के लोगों को ही पेंशन उपलब्ध है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद बुजुर्ग असंगठित क्षेत्र से आते हैं। सन् 2000 से 2010 तक संगठित क्षेत्र में केवल 0.3 प्रतिशत लोग ही रोज़गार पा सके हैं। जबकि भारत का *सकल घरेलू उत्पाद* 7.5 की दर से दुगुना हो गया है। इससे यह साबित होता है कि विकास का हिस्सा असंगठित क्षेत्र से आता है। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में और बिना अच्छे भोजन और बिना पूर्ण आराम से काम करते हैं। इस लिहाज़ से पेंशन की मांग उनके द्वारा देश को दिए गए योगदान के एवज में उनका जायज हक़ है। इनके अतिरिक्त अनेक वंचित समूह जैसे— आदिवासी, किन्नर, विकलांग, यौनकर्मी समूह के वृद्ध भी बिना सहायता और मदद के जीवन जीने को मजबूर हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कम उम्र होने के बावजूद भी भेदभाव के कारण काम नहीं कर पाते। इस तरह के समूह भी अन्य लोगों की तरह ही सरकारी मदद के हकदार हैं।

पिछले दो सालों से भी ज़्यादा समय से *पेंशन परिषद* ने भारत के असंगठित क्षेत्र के कामगारों और बुजुर्गों के लिए पेंशन बढ़ाने की मांग के साथ साथ सर्वमान्य पेंशन सुविधा के मुद्दे को उठाया है ताकि वंचित और असहाय लोग बुढ़ापे में दरिद्रता और अभाव का सामना न करें। इस मांग के समर्थन में देश के अधिकांश हिस्सों से आए बुजुर्गों ने मई, 2012 के बाद से प्रत्येक संसद सत्र के दौरान जंतर मंतर पर धरना दिया ताकि उनकी दुर्दशा पर सरकार का ध्यान जाए। हर बार, इन बुजुर्गों की मांगों को संसद के भीतर और बाहर काफी समर्थन मिला। 27 नवंबर, 2013 को छठी बार जमा हुए इन बुजुर्गों की मांग की थी कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने वाला क़ानून संसद के बजट सत्र के दौरान बनाने का आश्वासन दे।

हमारे काम के दौरान ऐसे हज़ारों लोगों की पहचान हुई है जो बुजुर्गावस्था में दयनीय स्थिति में रह रहे हैं और इनके सामने आजीविका की सुरक्षा का सवाल बना हुआ है। परिवार वालों की उपेक्षा के शिकार और गरीबी में रहने वाले ये बुजुर्ग भी सम्मान के साथ जीने के अधिकारी हैं। ऐसे में वृद्धावस्था पेंशन उनके लिए एक ज़रूरी संसाधन है जो उन्हें आर्थिक सुरक्षा का बोध, गरिमा और परिवार में मज़बूत उपस्थिति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

पेंशन परिषद की मांग हाशिए के अलग-अलग समुदाय की ज़रूरत और उनकी मांगों पर आधारित है। इनमें स्थानीय समुदाय के लोग, आंतरिक विस्थापन झेल रहे लोग, दलित, साइकिल रिक्शा चालक, जंगल में बसे लोग, कृषि मज़दूर, निर्माण श्रमिक, कूड़ा-कचरा बीनने वाले दिहाड़ी मज़दूर, नरेगा और ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले कारीगर, नमक बनाने वाले मज़दूर, घरेलू ट्रांस जेंडर, विकलांग, समलैंगिक पुरुष, स्ट्रीट वेंडर्स, मछली मारने के काम से जुड़े लोग, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति शामिल हैं।

पेंशन परिषद की मांगें

• **पेंशन सर्वमान्य हो-** पेंशन को सर्वमान्य बनाने से बुजुर्ग महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए बुजुर्ग महिलाएं दूसरों पर कहीं ज़्यादा निर्भर हैं। 48 फीसदी बुजुर्ग पुरुष दूसरों पर निर्भर हैं, इनमें 32 फीसदी पूरी तरह तथा 15 फीसदी आंशिक तौर पर निर्भर है। वहीं 84 फीसदी बुजुर्ग महिलाएं दूसरों पर निर्भर हैं, इनमें 72 फीसदी पूरी तरह जबकि 12 फीसदी आंशिक तौर पर आश्रित है। संयुक्त तौर पर 65 फीसदी बुजुर्ग दूसरों पर निर्भर रहते हैं।

(सैंपल सर्वे आर्गेनाइजेशन के 60वें राउंड के सर्वे में बुजुर्गों की आर्थिक निर्भरता के नतीजे के मुताबिक)

ये नतीजे बताते हैं कि वृद्धावस्था योजनाओं के लिए गरीबी रेखा ने नीचे रिहाइश को आधार बनाना कई मुश्किलों को जन्म देता है। पहली, आधिकारिक तौर पर जो गरीबी रेखा तय है, वह बेहद कम है। दूसरी, सरकार को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटाने में काफी मुश्किल होती है और भारी संख्या में लोग इस सूची से छूटे रहे हैं। तीसरी, बीपीएल सूची बनाने और उसे कायम रखने की प्रक्रिया काफी दुरुह होती है और सरकारी अधिकारी इस सूची का इस्तेमाल बाकी रह गए लोगों को सही ठहराने के लिए करते हैं।

- **न्यूनतम मासिक पेंशन 2000 रुपए प्रतिमाह होना चाहिए या फिर न्यूनतम मज़दूरी का आधा, इनमें जो भी रकम ज़्यादा हो।**

फिलहाल प्रतिमाह 200 रुपए पेंशन का भुगतान होता है जो मामूली रकम है। राज्य सरकारों का इसमें योगदान उनकी मर्ज़ी पर आधारित होता है। कई राज्य तो इस पर एक भी पैसा खर्च नहीं करते। पेंशन की रकम इतनी होनी चाहिए कि बुजुर्ग सम्मान के साथ जीवन जी सकें।

- **पेंशन की रकम महंगाई दर पर आधारित हो।** पेंशन महंगाई दर से जुड़ी होनी चाहिए ताकि प्रत्येक छह महीने पर मंहगाई की दर के मुताबिक पेंशन की रकम में भी वृद्धि की जा सके।
- **पेंशन** की रकम का भुगतान लाभार्थी को **प्रत्येक महीने की निश्चित तारीख** को मिलना चाहिए। ताकि गरीब अशिक्षित और बेसहारा लोगों को समय पर उनका हक़ मिले।
- **पेंशन भुगतान की व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए** और प्रत्येक राज्य के लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक तौर वेबसाइट पर मौजूद होनी चाहिए ताकि कोई पेंशन फंड का गलत उपयोग न कर सके।

- सरकार को **शिकायत निवारण व्यवस्था** बनानी चाहिए जिससे अंसेवदनशील कर्मचारियों और अफ़सरों पर नियंत्रण रखा जा सके। संसद में शिकायत निवारण विधेयक को जल्द से जल्द लागू किए जाने की भी ज़रूरत है।

संवैधानिक जनादेश को कायम रखा जाए

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत राज्य सरकार कई जनकल्याणकारी कदम उठा सकती है। संविधान की धारा 41 के तहत राज्यों को अपने नागरिकों को बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता और किसी अन्य वजह से आर्थिक क्षमता और विकास नहीं कर पाने की स्थिति में मदद देने का प्रावधान है।

ज़मीनी स्तर पर मांग

सतत संघर्ष के बावजूद लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती। बिहार के 65 साल के परमेश्वर राम नरेगा में मज़दूरी करते हैं और गरीबी और भुखमरी का प्रतिदिन सामना करते हैं। उनका कहना है "जिस दिन कुछ कमाता हूं, उसी दिन खाना खाता हूं। जिस दिन नहीं कमा पाता उस दिन खाना भी नहीं खाता। जब उम्र बढ़ेगी तो मैं कहां जाऊंगा।" इन लोगों में आंध्रप्रदेश की अप्सार शेख जैसी यौनकर्मी भी शामिल हैं जो कहती हैं, "महिलाओं के रहन सहन का खर्च ज़्यादा होता है, चाहे वह अकेली हो या बुजुर्ग हो। हमें कम से कम 2000 रुपए पेंशन की ज़रूरत होगी। अगर सरकार हमें यह पेंशन मुहैया कराती है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम सम्मान के साथ जी पाएंगी। अहम बात यह है कि इससे ऐसी महिलाओं की संख्या कम होगी जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए यौनकर्म करने को मजबूर हैं।"

नीतिगत प्रतिक्रिया

पेंशन परिषद ने यह सुनिश्चित किया है कि सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले सभी समुदाय और असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों को प्रतिनिधित्व और आवाज़ मिले।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्य सभा में 7 मार्च, 2013 को कहा कि प्रधानमंत्री की सलाह से वे संसद में एक संशोधित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का प्रारूप पेश करेंगे जिसमें टास्क फोर्स और *पेंशन परिषद* की अनुशंसाओं को भी शामिल किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश ने धरने पर आकर *पेंशन परिषद* की मांगों के मुताबिक तत्कालिक तौर पर निम्न कदम उठाने पर अपनी सहमति जताई है:

- गरीबी रेखा से ऊपर और नीचे के वर्गीकरण को हटाकर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को नये सिरे से गठित करना, जो सर्वमान्य तौर पर लागू हो।
- इस कार्यक्रम से बाहर रखे गए लोगों के लिए निश्चित आधार सुनिश्चित करना।
- पेंशन के लाभार्थियों को सरकार की अन्य योजनाओं के तहत खाद्य सुरक्षा और चिकित्सीय सुविधा मिलने की गारंटी।
- केंद्र सरकार प्रत्येक लाभार्थी के लिए न्यूनतम 500 रुपए प्रतिमाह की दर से 2013-2014 के लिए शुरू करेगी और राज्य सरकारों से इतनी ही रकम देने की अपील करेगी।
- पेंशन की रकम महंगाई दर पर आधारित होगी और प्रत्येक साल मनरेगा की मज़दूरी दर की तहत इसे संशोधित किया जाएगा।
- विधवा पेंशन योजना का लाभ सभी तलाक़शुदा, परित्यक्ता और 18 साल से अधिक उम्र की अकेली महिलाओं को भी मिलेगा।
- 40 साल से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाएं और अकेली रहने वाली महिलाओं को भी पेंशन मिलेगी। 40 फीसदी या उससे अधिक विकलांगता वाले सभी लोगों को पेंशन दी जाएगी।
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के ज़रिए प्रत्येक महीने की निर्धारित तिथि को पेंशन का भुगतान होगा।

लेकिन इन घोषणाओं पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अभी तक अमल नहीं किया है। यह लड़ाई अभी भी अनवरत जारी है और जब तक न्यूनतम मज़दूरी की आधी पेंशन नहीं मिल जाती है तब तक हमारा यह संघर्ष जारी रहेगा।

साभारः मज़दूर किसान शक्ति संगठन, राजस्थान